न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 37 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. हेमाराम पुत्र सूरता 2. बाबू पुत्र सुरता जातियान कुम्हार निवासीयान खेजड़ियाली (झाक) तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. रतना पुत्र बस्ता जाति कुम्हार निवासी खेजड़ियाली(झाक), तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. गंगा उर्फ भुरी देवी पत्नी स्व. गोरधन वर्तमान पति निम्बाराम उम्र 55 वर्ष जाति कुम्हार निवासी थुम्बली तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 106 / 2011 बअनवान रतना बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भीमाराम कुमावत उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेजड़ियाली, पटवार मण्डल झाक, तहसील बायतु के खसरा संख्या 180 रकबा 279.16 बीघा (वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 180 रकबा 22.6196 हैक्टयर, खसरा संख्या 435/180 रकबा 22.6520 हैक्टयर) व खसरा संख्या 179 रकबा 04 बिस्वा का विभाजन का आदेश पारित करने में विधि, तथ्यों एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजों की भारी अनदेखी कर गलत रूप से आदेश पारित किया, जो खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में आदेश क्रमांक 346 दिनांक 26.05.2014 को अपीलकर्तागण को सूचना दिये बगैर अपीलकर्तागण की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित किया, जिस पर तहसीलदार बायतु ने दिनांक 09.10.2014 को काऊंटर सिग्नेचर करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2015 को उक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 179 व 180 का बंटवारा करते हुए अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अरसा तीन दिन पूर्व भू अभिलेख निरीक्षक बाटाडू द्वारा अपीलकर्तागण को वादग्रस्त आराजी में रतनाराम का हिस्सा अलग होने एवं रतनाराम के हिस्से की नेखमबंदी करने बाबत नोटिस क्रमांक एस.पी.एल. दिनांक 25.03.2022 का दिया गया एवं यह बताया गया कि खसरा संख्या 180 रकबा 139.16 बीघा भूमि की नेखमबंदी दिनांक 04.04.2022 को की जायेगी, जिस पर अपीलकर्तागण पटवारी झाक से मिले और राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.01.2014 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार स्वयं द्वारा मौक मुआयना नहीं किया गया जबकि बंटवारा के मामले में तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना किया जाना मैण्डेट्री है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2011 बअनवान रतना बनाम गंगा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.01.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर